

एक मुश्त समझौता योजना

1.	योजना का नाम	एक मुश्त समझौता योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	आवासन संघ द्वारा पूर्व में ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित श्रृणों की समस्त बकाया एवं अवधिपार राशि का एक मुश्त चुकारा करने पर ऋणी सदस्यों को दण्डनीय ब्याज में 100: तक की छूट देय हैं।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1997-98
4.	लाभान्वित वर्ग	समस्त ऋणी सदस्य
5.	पात्रता	दोषी सदस्य (ऋणी)
6.	देय सुविधाएँ	दि. 31.3.07 तक के समस्त दोषी ऋणी सदस्य जो किन्हीं कारणवश किशों का भुगान समय पर नहीं कर पाये उन्हें दण्डनीय ब्याज में राहत प्रदान की जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	सदस्य /समिति इसके लिए आवासन संघ में सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है इसके लिए संघ के स्थानीय ए.ई.ओ./ऋण पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है ।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संघ के मुख्यालय अथवा संबंधित समिति में ।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	आवासन संघ में आवेदन करने पर खाते की नकल/जमा की रसीदे प्रस्तुत करनी होंगी
10.	सम्पर्क सूत्र	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लि., जयपुर 2741805, 2740699 एवं संबंधित समिति में